

राजस्थान सरकार
सामान्य प्रशासन(ग्रुप-2)विभाग

क्रमांक :- प. 3(1)साप्र/2/2018

जयपुर, दिनांक : 12-06-2018

-: आदेश :-

निम्नांकित अधिकारियों/कर्मचारियों को उनकी तृतीय श्रेणी की वरीयतानुसार उनके नाम के सम्मुख अंकित राजकीय आवास उनके निवास हेतु नियमानुसार किराये पर राजकीय आवास आवंटन नियम, 1958 के प्रावधानानुसार निम्नानुसार शर्तों के आधार पर एतद्वारा आवण्टित किया जाता है:-

क. सं.	वरियता सं.	नाम व पद	आवास की माँग	सेवानिवृति दिनांक	विशेष विवरण
1	2	3	4	5	6
1.	69/2011	श्री राजू गोराणा, निजी सहायक, आयुक्तालय, जल ग्रहण विकास एवं भू-संरक्षण विभाग, जयपुर	III-ए-11	31.01.2027	III-ए-11, गाँधीनगर, जयपुर (III-ए-3, गाँधीनगर के स्थान पर)
2.	81/2011	डॉ० प्रहलाद राम चिकित्सा अधिकारी (पी.जी.) (सर्जरी) सवाई मानसिंह चिकित्सालय, जयपुर	गांधीनगर हेतु नियम 11(III)ए के तहत दिनांक 20.2.2012 से विचारणीय है	31.10.2041	III/30, गाँधीनगर, जयपुर
3.	106/2011	श्री वीरेन्द्र कुमार जैन निजी सहायक, न्यायालय अपर सिविल न्यायाधीश (कनिष्ठ खण्ड), एवं महानगर मजिस्ट्रेट सं० 2, जयपुर महानगर, जयपुर	बहुमंजिला आवास गांधीनगर	31.8.2023	III-बी-11, बहुमंजिला, गाँधीनगर, जयपुर
4.	111/2011	श्री नरेश कुमार गोस्वामी मेल नर्स प्रथम, वार्ड इंचार्ज के.पी. डब्ल्यू. सवाई मानसिंह चिकित्सालय, जयपुर	गांधीनगर की मांग है	30.6.2025	III/54, गाँधीनगर, जयपुर
5.	129/2011	डॉ० रजनीश कुमार सिंघल चिकित्सा अधिकारी, सीएएसपीजी सवाई मानसिंह चिकित्सालय जयपुर	गांधीनगर हेतु नियम 11(III)ए के तहत दिनांक 19.9.2012 से विचारणीय	31.12.2037	III/90, गाँधीनगर, जयपुर
6.	131/2011	श्री गौरी शंकर शर्मा लेखाकार, निदेशालय स्थानीय निधि अंकेक्षण जयपुर	केवल गांधीनगर	30.6.2023	III/91, गाँधीनगर, जयपुर
7.	136/2011	डॉ० सुधीर कुमार पशु चिकित्सा अधिकारी, निदेशालय पशुपालन विभाग, जयपुर	गांधीनगर/ बहुमंजिला हेतु नियम 11(III)ए के तहत दिनांक 19.9.2012 से विचारणीय	31.5.2028	III-बी-15, बहुमंजिला, गाँधीनगर, जयपुर
8.	137/2011	श्री भागीरथ लाल कुमावत कनिष्ठ लेखाकार, एनसीसी निदेशालय, राजस्थान, जयपुर	गांधीनगर/ बहुमंजिला	30.6.2026	III-बी-19, बहुमंजिला, गाँधीनगर, जयपुर
9.	145/2011	डॉ. महेन्द्र सिंह रेजीडेंट डाक्टर, फॉरेन्सिक मेडिसिन विभाग, सवाई मानसिंह चिकित्सालय जयपुर	केवल गाँधीनगर	31.7.2039	III-बी-20, बहुमंजिला, गाँधीनगर, जयपुर
10.	148/2011	श्री प्रकाश चन्द सैन मेल नर्स -II, सवाई मानसिंह चिकित्सालय, जयपुर	गांधीनगर हेतु नियम 11(III)ए के तहत दिनांक 19.9.2012 से विचारणीय	31.3.2030	III-सी-10, बहुमंजिला, गाँधीनगर, जयपुर
11.	1/2012	श्रीमती यामिनी कौशिक व्याख्याता, राजकीय महाराजा बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय, छोटी चौपड, जयपुर	गांधीनगर हेतु नियम 11(III)ए के तहत दिनांक 30.11.2012 से विचारणीय	31.5.2023	III-सी-11, बहुमंजिला, गाँधीनगर, जयपुर
12.	31/2012	श्री सुरेन्द्र सिंह पुरोहित लेखाधिकारी, वित्त (व्यय-3) विभाग शासन सचिवालय, जयपुर	गांधीनगर हेतु नियम 11 (III) ए के तहत दिनांक 1.11.2012 से विचारणीय।	31.1.2030	III-सी-16, बहुमंजिला, गाँधीनगर, जयपुर

७.

13.	37/2012	श्री वीर सिंह मीणा सहायक निदेशक, राजस्थान माध्यमिक शिक्षा परिषद, शिक्षा शकुल जयपुर	गांधीनगर/ मॉडल टाउन/ ई-टाईप स्वतंत्र	30.9.2036	गा-सी-17, बहुमंजिला, गांधीनगर, जयपुर
14.	49/2012	श्री राजकुमार अतिरिक्त कोषाधिकारी, कोष कार्यालय, जयपुर शहर, जयपुर	गांधीनगर हेतु नियम 11(III)ए के तहत दिनांक 11.1.2013 से विचारणीय	31.7.2045	गा-डी-12, बहुमंजिला, गांधीनगर, जयपुर
15.	54/2012	श्री मदनलाल अटवाल कनिष्ठ लेखाकार निदेशालय, समेकित बाल सेवार्यें, राजस्थान, जयपुर	केवल गांधीनगर	31.5.2027	गा-डी-19, बहुमंजिला, गांधीनगर, जयपुर
16.	3/2013	श्री राजकुमार निर्वाण, सहायक शासन सचिव, कार्मिक (क-3/वाद) विभाग, जयपुर		30.09.2027	जीए/गा/टी-1/148, विद्याधर नगर, जयपुर (जीए/गा/टी-1/174, विद्याधर नगर के स्थान पर)
17.	147/2013	श्री हरिशरण सहायक अनुभागाधिकारी, कार्मिक (ग-1) विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर।	गांधीनगर	30.6.2033	15/8, मालवीयनगर, जयपुर
18.	148/2013	श्री आनन्द कुमार गुप्ता सहायक अनुभागाधिकारी, प्रमुख शासन सचिव चुनाव विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर।	गांधीनगर	31.10.2032	15/20, मालवीयनगर, जयपुर
19.	150/2013	श्री सुधीर कुमार गोयल सहायक अनुभागाधिकारी, वित्त (बजट) विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर।	गांधीनगर	28.2.2027	15/22, मालवीयनगर, जयपुर
20.	152/2013	श्री मनोहर लाल बैरवा सहायक अनुभागाधिकारी, कार्मिक (क-1) विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर।	गांधीनगर	30.6.2036	15/41, मालवीयनगर, जयपुर
21.	154/2013	श्री लक्खीराम मीणा सहायक अनुभागाधिकारी, कार्मिक (क-2) विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर।	गांधीनगर	31.3.2033	15/45, मालवीयनगर, जयपुर
22.	155/2013	श्री युगल किशोर चन्द्रवंशी सहायक अनुभागाधिकारी, कार्मिक (क-4-1) विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर।	गांधीनगर	31.8.2028	15/46, मालवीयनगर, जयपुर
23.	157/2013	श्री अनिल चतुर्वेदी सहायक अनुभागाधिकारी, प्रशासनिक सुधार (अनुभाग-3) विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर।	गांधीनगर	31.7.2022	15/47, मालवीयनगर, जयपुर
24.	158/2013	श्री चन्द्र शेखर सैन सहायक अनुभागाधिकारी, कार्यालय राज्यमंत्री तकनीकी शिक्षा कृषि सा. नि.वि. सचिवालय, जयपुर	गांधीनगर	31.10.2034	15/51, मालवीयनगर, जयपुर
25.	159/2013	श्री जगदीश प्रसाद शर्मा सहायक अनुभागाधिकारी, राजस्व (ग्रुप-3) विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर	गांधीनगर	31.5.2023	15/53, मालवीयनगर, जयपुर
26.	160/2013	श्री दिनेश कुमार गर्ग सहायक अनुभागाधिकारी, कार्यालय मंत्री ग्रामीण विकास एवं पंचायतीराज, विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर।	गांधीनगर	31.10.2033	15/55, मालवीयनगर, जयपुर
27.	161/2013	श्री धर्मेन्द्र कुमार माथुर सहायक अनुभागाधिकारी, वित्त व्यय-4 विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर	गांधीनगर	31.8.2031	15/56, मालवीयनगर, जयपुर
28.	162/2013	श्री मदन लाल बिजारनियां सहायक अनुभागाधिकारी, प्रशासनिक सुधार अनु-3 विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर	गांधीनगर	31.7.2033	15/65, मालवीयनगर, जयपुर
29.	163/2013	श्री नवल किशोर मीणा सहायक अनुभागाधिकारी, कार्यालय	गांधीनगर	30.4.2040	15/66, मालवीयनगर, जयपुर

2.

		राज्यमंत्री सानिवि मोटर गैराज, जयपुर			
30.	164/2013	श्री संजीव मित्तल निजी सहायक, निदेशक निरीक्षण विभाग, जयपुर	गांधीनगर	31.8.2031	15/67, मालवीयनगर, जयपुर
31.	167/2013	श्री हेतराम मीना सहायक अनुभागाधिकारी, सहकारिता विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर	गांधीनगर	31.8.2032	15/68, मालवीयनगर, जयपुर
32.	169/2013	श्री रामस्वरूप विश्णोई सहायक अनुभागाधिकारी, प्रशासनिक सुधार ग्रुप-4 विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर	गांधीनगर	31.1.2036	15/70, मालवीयनगर, जयपुर
33.	173/2013	श्री नरेन्द्र कुमार कोली सहायक अनुभागाधिकारी कार्यालय संसदीय सचिव (एम) शासन सचिवालय, जयपुर।	गांधीनगर	30.6.2036	15/71, मालवीयनगर, जयपुर
34.	174/2013	श्री प्रदीप कुमार जाट सहायक अनुभागाधिकारी, प्रमुख शासन सचिव उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर।	गांधीनगर	31.5.2027	15/72, मालवीयनगर, जयपुर
35.	176/2013	श्री संजय कुमार गाडिया सहायक अनुभागाधिकारी, कार्मिक (ग) विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर।	गांधीनगर	31.3.2026	ए-5, जवाहर नगर, जयपुर
36.	178/2013	श्री सूर्य बिहारी सिंह सहायक अनुभागाधिकारी, सामान्य प्रशासन (ग्रुप-4) विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर।	गांधीनगर	31.7.2024	ए-7, जवाहर नगर, जयपुर
37.	180/2013	श्री विजय सिंह सहायक अनुभागाधिकारी, पशुपालन विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर।	गांधीनगर	31.8.2032	ए-8, जवाहर नगर, जयपुर
38.	181/2013	श्री महेन्द्र सिंह जोधा सहायक अनुभागाधिकारी, कार्यालय संसदीय सचिव, (के0एल0जे0)	गांधीनगर	31.3.2023	ए-11, जवाहर नगर, जयपुर
39.	182/2013	श्री प्रदीप सिंह बिष्ट सहायक अनुभागाधिकारी, कार्यालय शासन सचिव विधि, शासन सचिवालय, जयपुर	गांधीनगर	28.2.2025	ए-12, जवाहर नगर, जयपुर
40.	185/2013	श्री रामावतार नैनावत सहायक अनुभागाधिकारी, शिक्षा ग्रुप-5/ विधि प्रकोष्ठ विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर।	गांधीनगर	31.1.2029	ए-13, जवाहर नगर, जयपुर
41.	186/2013	श्री अशोक कुमार जायसवाल सहायक अनुभागाधिकारी, प्रारम्भिक शिक्षा विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर।	गांधीनगर	30.9.2029	ए-14, जवाहर नगर, जयपुर
42.	187/2013	श्री जगदीश प्रसाद मीणा अनुभागाधिकारी, मुख्यमंत्री कार्यालय शासन सचिवालय, जयपुर।	गांधीनगर	31.2.2035	ए-17, जवाहर नगर, जयपुर
43.	188/2013	श्री लोकेश जैन सहायक अनुभागाधिकारी, प्रेस सलाहकार, मुख्यमंत्री कार्यालय, शासन सचिवालय, जयपुर।	गांधीनगर	30.11.2028	ए-25, जवाहर नगर, जयपुर
44.	196/2013	श्री अशोक कुमार सैन विधि रचनाकर, विधि एवं विधि रचना विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर	गांधीनगर	31.1.2041	ए-60, जवाहर नगर, जयपुर
45.	197/2013	श्री राजेन्द्र भाटिया विधि रचनाकार, विधि रचना विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर।	गांधीनगर	31.7.2039	ए-63, जवाहर नगर, जयपुर
46.	198/2013	श्री सुरेश कुमार मीणा प्राविधिज्ञ, ब्लड बैंक, महिला चिकित्सालय, सांगानेरी गेट, जयपुर।	मालवीय नगर	31.12.2029	15/16, मालवीयनगर, जयपुर
47.	200/2013	श्री छोटे लाल मीणा वरिष्ठ लिपिक, आयुक्त वाणिज्यिक कर विभाग, राज0, जयपुर	गांधीनगर	31.7.2020	ए-66, जवाहर नगर, जयपुर

2

48.	205/2013	श्री रामचन्द्र बलाई सहायक अनुभागाधिकारी, राज्य मंत्री, महिला एवं बाल विकास विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर।	गांधीनगर	31.1.2032	ए-71, जवाहर नगर, जयपुर
49.	216/2013	श्री राजेन्द्र प्रकाश माथुर सहायक अनुभागाधिकारी, मुख्यमंत्री कार्यालय, जयपुर	गांधीनगर	31.10.2031	ए-88, जवाहर नगर, जयपुर
50.	220/2013	श्रीमती प्रीति शर्मा कनिष्ठ विपणन अधिकारी, कृषि विभाग, जयपुर	गांधीनगर	31.3.2035	ए-91, जवाहर नगर, जयपुर
51.	221/2013	श्रीमती कमलेश कुमारी नर्स ग्रेड-II, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं, सवाई मानसिंह चिकित्सालय, जयपुर	गांधीनगर	31.7.2045	ए-98, जवाहर नगर, जयपुर
52.	223/2013	सुश्री शशि जैन सहायक निदेशक पेंशन, पेंशन एवं पेंशनर्स विभाग, जयपुर	गांधीनगर	31.12.2046	ए-99, जवाहर नगर, जयपुर
53.	227/2013	डॉ० (श्रीमती) बृजेश दाधीच चिकित्साधिकारी, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, राजकीय चिकित्सालय गणगौरी बाजार, जयपुर	गांधीनगर	30.6.2036	ए-100, जवाहर नगर, जयपुर
54.	228/2013	श्री गुंजन गोयल कनिष्ठ विधि अधिकारी, रीको, उद्योग भवन, जयपुर	गांधीनगर	30.10.2044	ए-104, जवाहर नगर, जयपुर
55.	231/2013	सुश्री कल्पना जोशी सहायक निदेशक, इन्दिरा गांधी पंचायती राज संस्थान, जयपुर	गांधीनगर	31.7.2041	ए-105, जवाहर नगर, जयपुर
56.	232/2013	डॉ० लोकेन्द्र कुमार गोयल चिकित्सा अधिकारी, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, सवाई मानसिंह चिकित्सालय, जयपुर	गांधीनगर	31.10.2039	ए-145, जवाहर नगर, जयपुर
57.	235/2013	डॉ० मुरलीधर चिकित्साधिकारी, सीएस रेजिडेन्ट डॉक्टर, सर्जरी, सवाईमानसिंह चिकित्सालय जयपुर	गांधीनगर	31.12.2038	ए-146, जवाहर नगर, जयपुर
58.	240/2013	श्रीमती रजनी कनिष्ठ विपणन अधिकारी, कृषि विपणन विभाग, जयपुर	गांधीनगर	31.8.2040	ए-149, जवाहर नगर, जयपुर
59.	241/2013	सुश्री नेहा छाबड़ा सहायक अभियन्ता, कार्यालय मुख्य अभियन्ता, सार्वजनिक निर्माण विभाग, भवन व पथ विभाग जयपुर।	गांधीनगर हीराबाग	30.11.2047	ए-150, जवाहर नगर, जयपुर
60.	250/2013	डॉ० अनिल कुमार महर्षि पशु चिकित्सा अधिकारी, कार्यालय निदेशक, पशु पालन विभाग, जयपुर	गांधीनगर	30.6.2039	ए-151, जवाहर नगर, जयपुर
61.	251/2013	डॉ० आशीष कुमार जैन चिकित्सा अधिकारी, रेडियोलोजी विभाग, सवाई मानसिंह चिकित्सालय जयपुर।	गांधीनगर	31.1.2046	ए-157, जवाहर नगर, जयपुर
62.	252/2013	डॉ० बरखा गुप्ता पशु चिकित्सा अधिकारी, कार्यालय निदेशक, पशुपालन विभाग, जयपुर	गांधीनगर	31.10.2037	जीए/III/टी-2/15, विद्याधर नगर, जयपुर
63.	257/2013	श्री संजीव कुमार गोयल कनिष्ठ लेखाकार, कार्यालय अतिरिक्त महानिदेशक, ए0टी0एस एवं एस0 ओ0 जी0राज0, जयपुर	गांधीनगर	30.6.2028	जीए/III/टी-2/31, विद्याधर नगर, जयपुर
64.	261/2013	डॉ० निर्मल कुमार गुप्ता सीएस (एमसीएच), बर्न एवं प्लास्टिक सर्जरी, सवाईमानसिंह चिकित्सालय जयपुर।	गांधीनगर	31.1.2036	जीए/III/टी-2/32, विद्याधर नगर, जयपुर
65.	263/2013	श्री ओमप्रकाश शर्मा वरिष्ठ विधि अधिकारी, कार्यालय अतिरिक्त निदेशक(प्रशासन), राज्य बीमा एवं प्रावधानी निधि विभाग, जयपुर	गांधीनगर	31.8.2034	जीए/III/टी-2/43, विद्याधर नगर, जयपुर
66.	264/2013	श्री हरफूल जाट कनिष्ठ लेखाकार, निदेशक, मुद्रण एवं	गांधीनगर	31.7.2029	जीए/III/टी-2/46, विद्याधर नगर, जयपुर

2

		लेखन सामग्री विभाग, राजस्थान, जयपुर			
67.	267 / 2013	डॉ० रामचन्द्र विश्नोई चिकित्सा अधिकारी, कान, नाक, गला विभाग, सवाई मानसिंह चिकित्सालय, जयपुर	गांधीनगर	31.1.2041	जीए/III/टी-2/55, विद्याधर नगर, जयपुर
68.	273 / 2013	श्री मानसिंह मीणा जनसम्पर्क अधिकारी, कार्यालय अतिरिक्त निदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग आईईसी, जयपुर	गांधीनगर	31.10.2038	जीए/III/टी-2/57, विद्याधर नगर, जयपुर
69.	274 / 2013	श्री राजेश कुमार गुर्जर चिकित्सा अधिकारी, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, सवाईमानसिंह चिकित्सा महाविद्यालय जयपुर।	गांधीनगर	30.4.2042	जीए/III/टी-2/59, विद्याधर नगर, जयपुर
70.	277 / 2013	श्रीमती जिजी वी. के नर्स ग्रेड -II, सर पदमपत मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य संस्थान, जयपुर	गांधीनगर	31.3.2030	जीए/III/टी-2/63, विद्याधर नगर, जयपुर
71.	278 / 2013	श्री पवन कुमार जाट प्राध्यापक शिक्षा विभाग, राजकीय पौद्दार उच्च माध्यमिक विद्यालय गांधीनगर, जयपुर	गांधीनगर	31.10.2029	जीए/III/टी-2/78, विद्याधर नगर, जयपुर
72.	280 / 2013	श्रीमती मनीषा उबाना सहायक वाणिज्य कर अधिकारी कार्यालय अपीलीय अधिकारी-द्वितीय, वाणिज्यिक कर विभाग, जयपुर	गांधीनगर	31.12.2038	जीए/III/टी-2/80, विद्याधर नगर, जयपुर
73.	282 / 2013	श्रीमती संगीता विजय नर्स ग्रेड -II, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, सर पदमपत मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य सेवायें जयपुर	गांधीनगर	30.11.2044	जीए/III/टी-2/82, विद्याधर नगर, जयपुर
74.	284 / 2013	श्रीमती लूसी डेविड नर्स ग्रेड -II, कार्यालय अधीक्षक जनाना अस्पताल जयपुर।	गांधीनगर	31.3.2035	जीए/III/टी-2/83, विद्याधर नगर, जयपुर
75.	285 / 2013	श्री गिरधारी लाल मीणा लेखाकार, कार्यालय उप परिवहन आयुक्त (प्रशासन), परिवहन विभाग, जयपुर	गांधीनगर	31.12.2028	जीए/III/टी-2/101, विद्याधर नगर, जयपुर
76.	286 / 2013	डॉ० अभिषेक पंवार चिकित्सा अधिकारी, जनरल सर्जरी सवाई मानसिंह चिकित्सालय, जयपुर	गांधीनगर	28.2.2042	जीए/III/टी-2/117, विद्याधर नगर, जयपुर
77.	287 / 2013	श्रीमती अनिता खींचड प्राध्यापक (अर्थशास्त्र), प्रधानाचार्य राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, वाटर वर्क्स, जयपुर	गांधीनगर	30.6.2039	जीए/III/टी-2/119, विद्याधर नगर, जयपुर
78.	292 / 2013	श्री ओमप्रकाश खटीक वरिष्ठ अध्यापक अंग्रेजी, राजकीय माध्यमिक विद्यालय, बड़ोदिया बस्ती, जयपुर	गांधीनगर	28.2.2032	जीए/III/टी-2/121, विद्याधर नगर, जयपुर
79.	294 / 2013	डॉ० बिमला चौधरी चिकित्साधिकारी, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, स्त्री एवं प्रसुति रोग, सवाई मानसिंह चिकित्सालय, जयपुर	गांधीनगर हीराबाग	31.8.2046	जीए/III/टी-2/122, विद्याधर नगर, जयपुर
80.	296 / 2013	श्री राम लाल मीणा प्रशासनिक अधिकारी, अधीक्षण अभियन्ता जल संसाधन वृत्त, जयपुर	गांधीनगर	31.7.2023	जीए/III/टी-2/135, विद्याधर नगर, जयपुर
81.	299 / 2013	श्री दिलीप सिंह नर्स ग्रेड -II, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, राजकीय चिकित्सालय, जयपुर	गांधीनगर	31.10.2036	जीए/III/टी-2/136, विद्याधर नगर, जयपुर
82.	300 / 2013	श्री मानसिंह रैगर मेल नर्स -II, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, राजकीय चिकित्सालय, गांधीनगर, जयपुर	गांधीनगर	30.6.2030	जीए/III/टी-2/137, विद्याधर नगर, जयपुर
83.	302 / 2013	श्री पवन कुमार सारस्वत वरिष्ठ निजी सहायक, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, जयपुर	बहुमजिला गांधीनगर	31.7.2034	जीए/III/टी-2/138, विद्याधर नगर, जयपुर
84.	304 / 2013	डॉ० देवेन्द्र सिंह रेजीडेण्ट डॉक्टर, ऑर्थोपेडिक विभाग	गांधीनगर हीराबाग	31.12.2043	15/19 मालवीय नगर, जयपुर

2.

		सवाई मानसिंह चिकित्सालय, जयपुर	मॉडल टाउन/ बजाज नगर/ ट्रांजिट हॉस्टल		
85.	305/2013	श्री रोहित कुमार अग्रवाल नर्स ग्रेड- II, राजकीय गणगौरी चिकित्सालय, जयपुर	गांधीनगर	31.1.2042	जीए/III/टी-1/153, विद्याधर नगर, जयपुर
86.	307/2013	श्री रामावतार स्वामी सहायक अनुभागाधिकारी, कार्मिक (ख-3/स्वागत कक्ष) विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर	गांधीनगर	28.2.2031	जीए/III/टी-1/155, विद्याधर नगर, जयपुर
87.	310/2013	श्री अनिल यादव सीनियर डेमोन्सट्रेट फोरेंसिक विभाग सवाई मानसिंह चिकित्सा महाविद्यालय, जयपुर	गांधीनगर	31.8.2038	जीए/III/टी-1/164, विद्याधर नगर, जयपुर

शर्त :-

1. आवास का कब्जा आवंटन/रिक्त की तिथि से 8 दिवस में लिया जायेगा। इस अवधि में कब्जा न लेने पर आवंटन आदेश स्वतः निरस्त समझा जावेगा।
2. उक्त आवास का किराया राजस्थान सिविल सेवा निवास स्थान के किराये का अवधारण और वसूली नियम, 1958 के अन्तर्गत राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर जारी आदेशों के अनुसार वसूल होगा।
3. सेवानिवृत्ति पश्चात आवास रिक्त करना होगा।
4. जयपुर से बाहर स्थानान्तरण हो जाने पर इस विभाग को सूचित करना होगा तथा कार्यमुक्त होने की तिथि से एक माह पश्चात आवास रिक्त करना होगा।
5. स्वयं तथा पत्नी/बच्चों के नाम से पदस्थापन स्थान पर निजी आवास बन जाने /क्रय करने की स्थिति में इस विभाग को सूचित करना होगा।
6. सम्बन्धित विभागाध्यक्ष/आहरण वितरण अधिकारी-चूंकि उक्त अधिकारियों/कर्मचारियों को राजकीय आवास का आवंटन किया जा चुका है। अतः राजकीय आवास आवंटन नियम, 1958 के नियम 11(III)ए के अनुसरण में आदेश प्रसारित होने के आवास रिक्त की तिथि से 8 दिवस में अथवा आवंटन स्वीकार करने के असफल रहने की तारीख से 6 माह की कालावधि तक अगले आवंटन तक के लिए पात्र नहीं रहेगा। 6 माह की समाप्ति पश्चात उसे प्रतीक्षा सूची में अपनी मूल स्थिति में पुनः लाया जा सकेगा। उसका मकान किराया भत्ता यदि उस क्षेत्र में अनुज्ञेय हो तो रोक दिया जायेगा।
7. आवंटी को आवंटित राजकीय आवास का कब्जा देने से पूर्व संबंधित अधिशाषी अभियन्ता को यह घोषणा करनी होगी:-
 1. आवेदन प्रस्तुत करने के पश्चात आवंटित राजकीय आवास के कब्जा लेने तक की अवधि में आवंटी निरन्तर जयपुर में ही पदस्थापित रहे है।
 2. आवेदन प्रस्तुत करने की तिथि से आवंटित राजकीय आवास के कब्जा लेने तक की अवधि में आवंटी के द्वारा कोई स्वयं/पति/पत्नि व उन पर आश्रित किसी अन्य सदस्य के नाम ये जयपुर में निजी आवास निर्मित/क्रय नहीं किया है।
8. उपरोक्त के अतिरिक्त राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर जारी अन्य शर्तें भी मान्य होगी।
9. क्रम संख्या 1, 3 एवं 7-10 पर अंकित आवंटी से कॉमन सुविधा शुल्क के पेटे राशि रुपये 225/- (अक्षरे दो सौ पच्चीस रुपये मात्र) सीधे इनके वेतन से काटे जाकर राजकोष में जमा कराने होंगे।

राज्यपाल की आज्ञा से,

ह.
(गौरव बजाड़)
संयुक्त शासन सचिव

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. जिला कलक्टर, जयपुर।
2. संयुक्त शासन सचिव, कार्मिक (क-4/ख-1) विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर को प्रेषित कर लेख है कि आपके विभाग से संबंधित आवंटीगण के वेतन से नियमानुसार राजकीय आवास किराया कटौती सुनिश्चित करावें।
3. अतिरिक्त महानिदेशक, ए.टी.एस. एवं एस.ओ.जी. राजस्थान, जयपुर को प्रेषित कर लेख है कि आपके विभाग से संबंधित आवंटीगण के वेतन से नियमानुसार राजकीय आवास किराया कटौती सुनिश्चित करावें।
4. आयुक्त, जल ग्रहण विकास एवं भू-संरक्षण विभाग, जयपुर को प्रेषित कर लेख है कि आवंटीगण के कब्जा लेने की तिथि से किराया वसूली कर राजकोष में जमा कराने को सुनिश्चित करावे।
5. प्रमुख शासन सचिव, विधि विभाग, जयपुर को प्रेषित कर लेख है कि आवंटीगण के कब्जा लेने की तिथि से किराया वसूली कर राजकोष में जमा कराने को सुनिश्चित करावे।
6. आयुक्त, वाणिज्यिक कर विभाग, राजस्थान, जयपुर को प्रेषित कर लेख है कि आपके विभाग से संबंधित आवंटीगण के वेतन से नियमानुसार राजकीय आवास किराया कटौती सुनिश्चित करावें।
7. आयुक्त, कृषि विभाग, राजस्थान, जयपुर को प्रेषित कर लेख है कि आपके विभाग से संबंधित आवंटीगण के वेतन से नियमानुसार राजकीय आवास किराया कटौती सुनिश्चित करावें।
8. आयुक्त (प्रशासन), परिवहन विभाग, जयपुर को प्रेषित कर लेख है कि आपके विभाग से संबंधित आवंटीगण के वेतन से नियमानुसार राजकीय आवास किराया कटौती सुनिश्चित करावें।
9. अतिरिक्त न्यायाधीश, न्यायालय अपर सिविल न्यायाधीश (कनिष्ठ खण्ड) एवं महानगर मजिस्ट्रेट सं. 2, जयपुर को प्रेषित कर लेख है कि आवंटीगण के कब्जा लेने की तिथि से किराया वसूली कर राजकोष में जमा कराने को सुनिश्चित करावे।
10. निदेशक, स्थानीय निधि अंकेक्षण विभाग, जयपुर को प्रेषित कर लेख है कि आपके विभाग से संबंधित आवंटीगण के वेतन से नियमानुसार राजकीय आवास किराया कटौती सुनिश्चित करावें।
11. निदेशक, कोष एवं लेखा विभाग, जयपुर को प्रेषित कर लेख है कि आपके विभाग से संबंधित आवंटीगण के वेतन से नियमानुसार राजकीय आवास किराया कटौती सुनिश्चित करावें।
12. निदेशक, पेंशन एवं पेंशनर्स वेलफेयर विभाग, राजस्थान, जयपुर को प्रेषित कर लेख है कि आपके विभाग से संबंधित आवंटीगण के वेतन से नियमानुसार राजकीय आवास किराया कटौती सुनिश्चित करावें।
13. अधीक्षक/प्राचार्य, सवाई मानसिंह चिकित्सालय, जयपुर को प्रेषित कर लेख है कि आवंटीगण के कब्जा लेने की तिथि से किराया वसूली कर राजकोष में जमा कराने को सुनिश्चित करावे।

14. निदेशक, निदेशालय, पशुपालन विभाग, जयपुर को प्रेषित कर लेख है कि आपके विभाग से संबंधित आवंटीगण के वेतन से नियमानुसार राजकीय आवास किराया कटौती सुनिश्चित करावें।
15. निदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाये, जयपुर को प्रेषित कर लेख है कि आपके विभाग से संबंधित आवंटीगण के वेतन से नियमानुसार राजकीय आवास किराया कटौती सुनिश्चित करावें।
16. निदेशक, एनसीसी, जयपुर को प्रेषित कर लेख है कि आवंटीगण के कब्जा लेने की तिथि से किराया वसूली कर राजकोष में जमा कराने को सुनिश्चित करावे।
17. निदेशक, समेकित बाल सेवाएं, राजस्थान, जयपुर को प्रेषित कर लेख है कि आपके विभाग से संबंधित आवंटीगण के वेतन से नियमानुसार राजकीय आवास किराया कटौती सुनिश्चित करावें।
18. निदेशक, निरीक्षण विभाग, जयपुर को प्रेषित कर लेख है कि आपके विभाग से संबंधित आवंटीगण के वेतन से नियमानुसार राजकीय आवास किराया कटौती सुनिश्चित करावें।
19. निदेशक, राजस्थान माध्यमिक शिक्षा परिषद्, शिक्षा संकुल, जयपुर को प्रेषित कर लेख है कि आपके विभाग से संबंधित आवंटीगण के वेतन से नियमानुसार राजकीय आवास किराया कटौती सुनिश्चित करावें।
20. निदेशक, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, राजस्थान, जयपुर को प्रेषित कर लेख है कि आपके विभाग से संबंधित आवंटीगण के वेतन से नियमानुसार राजकीय आवास किराया कटौती सुनिश्चित करावें।
21. अधीक्षक, जे.के. लॉन चिकित्सालय, जयपुर को प्रेषित कर लेख है कि आपके विभाग से संबंधित आवंटीगण के वेतन से नियमानुसार राजकीय आवास किराया कटौती सुनिश्चित करावें।
22. अधीक्षक, महिला चिकित्सालय, सांगानेरी गेट, जयपुर को प्रेषित कर लेख है कि आवंटीगण के कब्जा लेने की तिथि से किराया वसूली कर राजकोष में जमा कराने को सुनिश्चित करावे।
23. अधीक्षक, जनाना अस्पताल, जयपुर को प्रेषित कर लेख है कि आपके विभाग से संबंधित आवंटीगण के वेतन से नियमानुसार राजकीय आवास किराया कटौती सुनिश्चित करावें।
24. निदेशक, राज्य बीमा एवं प्रावधानी निधि विभाग, जयपुर को प्रेषित कर लेख है कि आवंटीगण के कब्जा लेने की तिथि से किराया वसूली कर राजकोष में जमा कराने को सुनिश्चित करावे।
25. निदेशक, मुद्रण एवं लेखन सामग्री विभाग, जयपुर को प्रेषित कर लेख है कि आपके विभाग से संबंधित आवंटीगण के वेतन से नियमानुसार राजकीय आवास किराया कटौती सुनिश्चित करावें।
26. निदेशक, सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग, राजस्थान, जयपुर को प्रेषित कर लेख है कि आपके विभाग से संबंधित आवंटीगण के वेतन से नियमानुसार राजकीय आवास किराया कटौती सुनिश्चित करावें।
27. वित्तीय सलाहकार कार्मिक (ग) विभाग शासन सचिवालय, जयपुर को प्रेषित कर लेख है कि आपके विभाग से संबंधित आवंटीगण के वेतन से नियमानुसार राजकीय आवास किराया कटौती सुनिश्चित करावें।
28. प्रधानाचार्य, राजकीय महाराजा बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय, छोटी चौपड़, जयपुर को प्रेषित कर लेख है कि आपके विभाग से संबंधित आवंटीगण के वेतन से नियमानुसार राजकीय आवास किराया कटौती सुनिश्चित करावें।
29. प्रधानाचार्य, राजकीय पोद्दार उच्च माध्यमिक विद्यालय, गाँधीनगर, जयपुर को प्रेषित कर लेख है कि आपके विभाग से संबंधित आवंटीगण के वेतन से नियमानुसार राजकीय आवास किराया कटौती सुनिश्चित करावें।
30. प्रधानाचार्य, राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, वाटर वर्क्स, जयपुर को प्रेषित कर लेख है कि आपके विभाग से संबंधित आवंटीगण के वेतन से नियमानुसार राजकीय आवास किराया कटौती सुनिश्चित करावें।
31. प्रधानाचार्य, राजकीय माध्यमिक विद्यालय, बड़ोदिया बस्ती, जयपुर को प्रेषित कर लेख है कि आपके विभाग से संबंधित आवंटीगण के वेतन से नियमानुसार राजकीय आवास किराया कटौती सुनिश्चित करावें।
32. अधीक्षण अभियन्ता, जल ससाधन वृत्त, जयपुर को प्रेषित कर लेख है कि आपके विभाग से संबंधित आवंटीगण के वेतन से नियमानुसार राजकीय आवास किराया कटौती सुनिश्चित करावें।
33. प्रभारी, राजकीय चिकित्सालय, गणगौरी बाजार, जयपुर को प्रेषित कर लेख है कि आपके विभाग से संबंधित आवंटीगण के वेतन से नियमानुसार राजकीय आवास किराया कटौती सुनिश्चित करावें।
34. प्रभारी, राजकीय चिकित्सालय, गाँधीनगर, जयपुर को प्रेषित कर लेख है कि आपके विभाग से संबंधित आवंटीगण के वेतन से नियमानुसार राजकीय आवास किराया कटौती सुनिश्चित करावें।
35. आयुक्त, उद्योग विभाग, राजस्थान, जयपुर को प्रेषित कर लेख है कि आपके विभाग से संबंधित आवंटीगण के वेतन से नियमानुसार राजकीय आवास किराया कटौती सुनिश्चित करावें।
36. निदेशक, इन्दिरा गाँधी पंचायती राज संस्थान, जयपुर को प्रेषित कर लेख है कि आपके विभाग से संबंधित आवंटीगण के वेतन से नियमानुसार राजकीय आवास किराया कटौती सुनिश्चित करावें।
37. मुख्य अभियन्ता, सार्वजनिक निर्माण विभाग, भवन व पथ, जयपुर को प्रेषित कर लेख है कि आपके विभाग से संबंधित आवंटीगण के वेतन से नियमानुसार राजकीय आवास किराया कटौती सुनिश्चित करावें।
38. निदेशक, सम्पदा विभाग, मिनी सचिवालय, जयपुर को प्रेषित कर लेख है कि आवंटीगण के कब्जा लेने की तिथि से किराया वसूली कर राजकोष में जमा कराने को सुनिश्चित करावे।
39. कोषाधिकारी, कोष कार्यालय, शासन सचिवालय, जयपुर।
40. कोषाधिकारी, कोष कार्यालय, जयपुर शहर, जयपुर।
41. प्रोग्रामर, सामान्य प्रशासन (ग्रुप-3) विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर— कृपया उक्त आदेश को सामान्य प्रशासन विभाग की वेब साईट पर अपडेट करने का श्रम करावें।
42. सामान्य प्रशासन (ग्रुप-5) विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर।
43. अधिशाषी अभियन्ता, सार्वजनिक निर्माण विभाग, नगर खण्ड-तृतीय (मुख्यालय), जयपुर को प्रेषित कर लेख है कि इस आवण्टन पत्र के पीछे दिये गये प्रपत्र की आवश्यक पूर्ति करने के पश्चात् ही आवण्टन की कार्यवाही सुनिश्चित करावें।
44. अधिशाषी अभियन्ता, जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग, गाँधीनगर जयपुर।
45. अधिशाषी अभियन्ता, जयपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड, रामबाग सर्किल, जयपुर।
46. सहायक अभियन्ता, सार्वजनिक निर्माण विभाग चौकी, गाँधीनगर/विद्याधर नगर, जयपुर-कृपया आवंटी के द्वारा कब्जा लेने/रिक्त दिनांक की सूचना निदेशक सम्पदा विभाग, मिनी सचिवालय जयपुर को भी भिजवाये।
47. संबंधित अधिकारी/कर्मचारी को प्रेषित कर लेख है कि कब्जा लेने से पूर्व इस आवण्टन पत्र के पीछे दिये गये प्रपत्र की अपने स्तर पर आवश्यक पूर्ति कर अधिशाषी अभियन्ता, सार्वजनिक निर्माण विभाग, नगर खण्ड-तृतीय (मुख्यालय), जयपुर को सम्भलवाने के पश्चात् ही कब्जा प्राप्त करेंगे।
48. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, साप्रवि।
49. रक्षित पत्रावली।

संयुक्त शासन सचिव

राजकीय आवास के आवंटी संलग्न प्रपत्र में शपथपूर्वक सूचना अंकित करते अपने नियुक्ति अधिकारी/ विभागाध्यक्ष से प्रमाणित कराते हुये सार्वजनिक निर्माण विभाग की संबंधित चौकी में आवंटित राजकीय आवास का कब्जा लेते समय प्रस्तुत करेंगे। संबंधित सहायक अभियन्ता द्वारा आवंटी से प्राप्त उक्त प्रपत्र अनुसार आवंटन हेतु पात्र होने पर ही कब्जा प्रदान किया जावेगा तथा आवंटन आदेश जारी होने के 15 दिवस में कब्जे की रिपोर्ट के साथ प्रपत्र आवश्यक रूप से इस विभाग को भिजवाना सुनिश्चित करावेंगे।

प्रपत्र में असत्य सूचनाओं के आधार पर आवंटन निरस्त किया जा सकता है तथा कब्जे की तिथि से प्रचलित बाजार किराया दर वसूलनीय होगा।

प्रपत्र

1.	नाम अधिकारी / कर्मचारी	
2.	वर्तमान पद एवं पदस्थान विवरण	
3.	जन्म दिनांक	
4.	सेवानिवृत्ति दिनांक	
5.	जयपुर शहर में राजकीय आवास हेतु जयपुर शहर में निरन्तर रूप से पदस्थापित है? जयपुर में आवास हेतु आवदेन किया जाने के पश्चात् लगातार जयपुर में ही पदस्थापित रहे है। इस माध्य में स्वयं का जयपुर से बाहर स्थानान्तरण एवं पदस्थापन नहीं हुआ है।	
6.	आवंटी का जयपुर शहर में कोई स्वयं/पत्नि व उन पर आश्रित किसी सदस्य के नाम निजी आवास नहीं है।	

आवेदक के हस्ताक्षर मय मोबाईल नम्बर

विभागाध्यक्ष / आहरण वितरण अधिकारी के हस्ताक्षर मय मोहर

राजस्थान सरकार
सामान्य प्रशासन (ग्रुप-2) विभाग

क्रमांक :- प. 16(1)साप्र/2/17

जयपुर, दिनांक : 12-06-2018

-: आदेश :-

श्री अरविन्द कुमार छोलक, अनुभागाधिकारी, राजस्व (ग्रुप-2) विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर जिनकी चतुर्थ श्रेणी की वरीयता संख्या 33/2012 व सेवानिवृत्ति दिनांक 31.12.2028 है, के आधार पर उनके निवास हेतु राजकीय आवास आवंटन नियम, 1958 के प्रावधानान्तर्गत वरियता के आधार पर इस विभाग के आदेश क्रमांक प.16(1)साप्र/2/2017 पार्ट दिनांक 29.05.2018 द्वारा राजकीय आवास संख्या 4/115, गाँधीनगर, जयपुर आवंटित किया गया था, के स्थान पर राजकीय आवास संख्या 4/153, गाँधीनगर, जयपुर का निम्न शर्तों के आधार पर आवंटन/परिवर्तन किया जाता है:-

शर्त :-

1. आवास का कब्जा आवंटन की तिथि से 8 दिवस में लिया जायेगा। इस अवधि में कब्जा न लेने पर आवंटन आदेश स्वतः निरस्त समझा जावेगा।
2. उक्त आवास का किराया राजस्थान सिविल सेवा निवास स्थान के किराये का अवधारण और वसूली नियम, 1958 के अन्तर्गत राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर जारी आदेशों के अनुसार वसूल होगा।
3. सेवानिवृत्ति पश्चात आवास रिक्त करना होगा।
4. जयपुर से बाहर स्थानान्तरण हो जाने पर इस विभाग को सूचित करना होगा तथा कार्यमुक्त होने की तिथि से एक माह पश्चात आवास रिक्त करना होगा।
5. स्वयं तथा पत्नी/बच्चों के नाम से पदस्थापन स्थान पर निजी आवास बन जाने/क्रय करने की स्थिति में इस विभाग को सूचित करना होगा।
6. सम्बन्धित विभागाध्यक्ष/आहरण वितरण अधिकारी-चूँकि उक्त अधिकारियों/कर्मचारियों को राजकीय आवास का आवंटन किया जा चुका है। अतः राजकीय आवास आवंटन नियम, 1958 के नियम 11(III)ए के अनुसरण में आदेश प्रसारित होने व आवास रिक्त उपलब्ध होने तिथि से 8 दिवस में कब्जा नहीं लेने अथवा आवंटन स्वीकार करने के असफल रहने की तारीख से 6 माह की कालावधि तक अगले आवंटन तक के लिए पात्र नहीं रहेगा। 6 माह की समाप्ति पश्चात उसे प्रतीक्षा सूची में अपनी मूल स्थिति में पुनः लाया जा सकेगा। उसका मकान किराया भत्ता यदि उस क्षेत्र में अनुज्ञेय हो तो रोक दिया जायेगा।
7. आवंटनी को आवंटित राजकीय आवास का कब्जा देने से पूर्व संबंधित अधिशाषी अभियन्ता को यह घोषणा करनी होगी:-
 1. आवेदन प्रस्तुत करने के पश्चात आवंटित राजकीय आवास के कब्जा लेने तक की अवधि में आवंटनी निरन्तर जयपुर में ही पदस्थापित रहे है।
 2. आवेदन प्रस्तुत करने की तिथि से आवंटित राजकीय आवास के कब्जा लेने तक की अवधि में आवंटनी के द्वारा कोई स्वयं/पति/पत्नि व उन पर आश्रित किसी अन्य सदस्य के नाम ये जयपुर में निजी आवास निर्मित/क्रय नहीं किया है।
8. उपरोक्त के अतिरिक्त राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर जारी अन्य शर्तें भी मान्य होगी।

इस विभाग के आदेश क्रमांक प.16(1)साप्र/2/18 दिनांक 29.05.18 द्वारा श्रीमती कोमल भार्गव, सहायक अनुभागाधिकारी, राजस्व (ग्रुप-5) विभाग शासन सचिवालय, जयपुर को राजकीय आवास संख्या 4/153, गाँधीनगर, आवंटित किया गया था। श्रीमती कोमल भार्गव द्वारा उक्त आवास का कब्जा नहीं लेने के कारण इनका आवंटन एतद्वारा निरस्त किया जाता है।

राज्यपाल की आज्ञा से,

50

(गौरव बजाड़)
संयुक्त शासन सचिव

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. जिला कलक्टर, जयपुर।
2. संयुक्त शासन सचिव, कार्मिक (क-4/2) विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर को प्रेषित कर लेख है कि आवंटनी के कब्जा लेने की तिथि से इनके वेतन से नियमानुसार किराया वसूली को सुनिश्चित करावें।
3. वित्तीय सलाहकार कार्मिक (ग) विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर को प्रेषित कर लेख है कि आवंटनी के कब्जा लेने की तिथि से इनके वेतन से नियमानुसार किराया वसूली को सुनिश्चित करावें।
4. निदेशक, सम्पदा विभाग, मिनी सचिवालय, जयपुर को प्रेषित कर लेख है कि आवंटनी के कब्जा लेने की तिथि से इनके वेतन से नियमानुसार किराया वसूली को सुनिश्चित करावें।
5. कोषाधिकारी, कोष कार्यालय, शासन सचिवालय, जयपुर को प्रेषित कर लेख है कि आवंटनी के कब्जा लेने की तिथि से इनके वेतन से किराया कटौति को सुनिश्चित करावें।
6. अधिशाषी अभियन्ता, सार्वजनिक निर्माण विभाग, खण्ड-तृतीय (मुख्यालय) जयपुर को प्रेषित कर लेख है कि इस आवंटन पत्र के पीछे दिये गये प्रपत्र की आवश्यक पूर्ति करने के पश्चात ही आवंटन की कार्यवाही सुनिश्चित करावें।
7. अधिशाषी अभियन्ता, जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग, गाँधीनगर, जयपुर।
8. अधिशाषी अभियन्ता, जयपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड, रामबाग सर्किल, जयपुर।
9. प्रोग्रामर, सामान्य प्रशासन (ग्रुप-3) विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर- कृपया उक्त आदेश को सामान्य प्रशासन विभाग की वेब साईट पर अपडेट करने का श्रम करावें।
10. सहायक अभियन्ता, सार्वजनिक निर्माण विभाग चौकी गाँधीनगर, जयपुर-कृपया उक्त आदेश को कार्यालय ब्लेकबोर्ड पर चस्पा करावें साथ ही आवंटनी के द्वारा कब्जा लेने/रिक्त दिनांक की सूचना निदेशक सम्पदा विभाग, मिनी सचिवालय जयपुर को भी भिजवायें।
11. श्री अरविन्द कुमार छोलक, अनुभागाधिकारी, राजस्व (ग्रुप-2) विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर जयपुर को प्रेषित कर लेख है कि कब्जा लेने से पूर्व इस विभाग द्वारा पूर्व आवंटित आवास को रिक्त करते हुए इस आवंटन पत्र के पीछे दिये गये प्रपत्र की अपने स्तर पर आवश्यक पूर्ति कर अधिशाषी अभियन्ता, सार्वजनिक निर्माण विभाग, खण्ड-तृतीय (मुख्यालय) जयपुर को सम्मिलवाने के पश्चात ही कब्जा प्राप्त करेंगे।
12. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, साप्रवि।
13. रक्षित पत्रावली।

2.

संयुक्त शासन सचिव

राजकीय आवास के आवंटी संलग्न प्रपत्र में शपथपूर्वक सूचना अंकित करते अपने नियुक्ति अधिकारी/ विभागाध्यक्ष से प्रमाणित कराते हुये सार्वजनिक निर्माण विभाग की संबंधित चौकी में आवंटित राजकीय आवास का कब्जा लेने समय प्रस्तुत करेंगे। संबंधित सहायक अभियन्ता द्वारा आवंटी से प्राप्त उक्त प्रपत्र अनुसार आवंटन हेतु पात्र होने पर ही कब्जा प्रदान किया जावेगा तथा आवंटन आदेश जारी होने के 15 दिवस में कब्जे की रिपोर्ट के साथ प्रपत्र आवश्यक रूप से इस विभाग को भिजवाना सुनिश्चित करावेंगे।

प्रपत्र में असत्य सूचनाओं के आधार पर आवंटन निरस्त किया जा सकता है तथा कब्जे की तिथि से प्रचलित बाजार किराया दर वसूलनीय होगा।

प्रपत्र

1.	नाम अधिकारी/कर्मचारी	
2.	वर्तमान पद एवं पदस्थान विवरण	
3.	जन्म दिनांक	
4.	सेवानिवृत्ति दिनांक	
5.	जयपुर शहर में राजकीय आवास हेतु जयपुर शहर में निरन्तर रूप से पदस्थापित है? जयपुर में आवास हेतु आवेदन किया जाने के पश्चात् लगातार जयपुर में ही पदस्थापित रहे है। इस माध्य में स्वयं का जयपुर से बाहर स्थानान्तरण एवं पदस्थापन नहीं हुआ है।	
6.	आवंटी का जयपुर शहर में कोई स्वयं/पत्नि व उन पर आश्रित किसी सदस्य के नाम निजी आवास नहीं है।	

आवेदक के हस्ताक्षर मय मोबाईल नम्बर

विभागाध्यक्ष /आहरण वितरण अधिकारी के हस्ताक्षर मय मोहर